(10)

[1][प्ररूप 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 01 राजमहल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्चावन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम ज्योतिन सोरेन

पिता/~~माता~~/~~पति~~ का नाम स्व. बुधेश्वर सोरेन

उसका डाक पता ग्राम- हाथीमारा पो. बड़कियारी थाना महेशपुर जिला- पाकुड़ झारखण्ड पिन- 816106.

उसका नाम 01 राजमहल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट 06 महेशपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. 70 में क्रम सं. 185 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम कृष्णा कान्त मंडल है जो 01 राजमहल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट 05 पाकुड़ विधानसभा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. 289 में क्रम सं. 364 पर प्रविष्ट है।

तारीख 03.04.2014.

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2 लागू नहीं होता

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए .... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/माता/पति का नाम ....

उसका डाक पता ....

....

लागू नहीं होता

उसका नाम .... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट ....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .... में क्रम संख्यांक.. पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक					
क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं.	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

लागू नहीं होता

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने ....6 5 वर्ष.......... वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ....भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
.... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में ....लागू नहीं होता..........
.... दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i)..........

(ii)..........

(iii).......... हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ....हिन्दी..........
(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **संथाल जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ...झारखण्ड... राज्य के उस राज्य में के ......सम्पूर्ण...... (क्षेत्र) के सम्बंध में अनुसूचित *** ......संथाल...... जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख ...03. 04. 2014.

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में ''में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र'' शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- ''मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल'' से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन सम्बंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

[1][भाग 3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को –

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की –
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है; या — हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। नहीं

यदि उत्तर ''हाँ'' में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट लागू नहीं होता
संख्यांक ....

(ii) पुलिस थाना लागू नहीं होता
(थाने) .... जिला (जिले) .... राज्य ....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं होता
....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)
लागू नहीं होता ....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
लागू नहीं होता ....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) .... लागू नहीं होता

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टयाँ .... लागू नहीं होता

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे
....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं .... लागू नहीं होता

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो – लागू नहीं होता
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) .... लागू नहीं होता
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) .... लागू नहीं होता

[signature]
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)]

स्थान : [illegible]

तारीख : 03.05.2015

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम सं. ......10......

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ..03/04/2014 (तारीख) को ....02:03.... (बजे) *अभ्यर्थी/~~प्रस्थापक~~ द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 03/04/2014

रिटर्निंग ऑफिसर

भाग 5

नामनिर्देशन–पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन–पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

(टिप्पण)

No. 15 Date 03/04

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

01 राजमहल (अ.ज.जा.) संसदीय ...... निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा ...... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग–क

मैं ज्योतिन सोरेन ** पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ स्व. बुधेश्वर सोरेन आयु 66 वर्ष, जो ग्रा. लखीपाड़ा पो. बड़कियारी, जिला - पाकुड़ झारखण्ड पिन - 816106 ......(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(1) मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ...... (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक ~~स्वतंत्र~~ अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 06 महेशपुर (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र, झारखण्ड (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 70 के क्रम सं. 185 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 0875780235 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) cpimpakur@gmail.com है।
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) नहीं हैं।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल गी गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं ज्योतिन सोरेन	शून्य	शून्य	शून्य
2.	~~पति~~ या पत्नी (1) जोबा मुर्मू (ii) सुन्दरी मुर्मू	ADHPM0572H शून्य	2013 - 2014 शून्य	₹ 3,31,025.00 शून्य
3.	आश्रित – 1 ज्योतिरत्ना सोरेन	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित – 2 श्रीलेखा बीना सोरेन	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित – 3 शैलजलता सोरेन	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	प्राथमिकी संख्या - 210/2007 दुमका (नगर) थाना जिला दुमका, झारखण्ड
(ख)	सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	धारा - 143/447/353/160/504 भा.द.वि. गैरकानूनी मजमा बनाकर कार्यालय परिसर में प्रवेश कर हो हल्ला करते हुए सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाना।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका जी. आर न. 1018/07 टी. आर. न. 823/13 संज्ञान तिथि - 18.01.2010.
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दुमका, झारखण्ड
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	आरोप गठन तिथि 03.03.2011.
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं।

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	₹10,000/-	(i) ₹ 6000/- (ii) ₹ 2500/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातें भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	(i) SBI महेशपुर SB A/C No. 11709273063 में ₹ 34167/- (ii) PNB [illegible] S.B A/C No. 612000010032720 ₹ 939221/-	(i) SBI Debinagar SB A/c no. 11890024956 ₹ 37836/- (ii) Van. Gram. Bank Maheshpur A/c no. 1400304494 – ₹ 950/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य–
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य–	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Car 800 MS 2012 MP09HB3360 800 ₹ 75000/- Motorcycle JH18A 1229, 2007 ₹ 40000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जवाहरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	(i) सोना 5 ग्राम [illegible] ₹ 10,000/- [illegible] ₹ 8000/- (ii) [illegible] चांदी [illegible] ₹ 8000/-	शून्य	शून्य	शून्य–
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	T.V. [illegible] ₹ 40,000/-	शून्य–	शून्य	शून्य	शून्य–
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹293089/-	₹ 83286/-	शून्य	शून्य	शून्य–

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(I)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	जिला - पाकुड़ अंचल महेशपुर मौजा हाथीमारा थ. 188 ख. न. 50	शून्य	शून्य -	शून्य	शून्य –
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2 कठा 57 [illegible] 12 धुर का अंश 1/3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य –
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य –
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य –	शून्य	शून्य	शून्य –
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य –
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य -	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 950000/- रु. [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	जिला - पाकुड़ अंचल महेशपुर मौजा हाथीमारा थ. 188 ख. न. 50 [illegible] - 1027 [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य -	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2 कठा 01 [illegible] 17 [illegible] 10 धुर	शून्य	शून्य -	शून्य	शून्य –
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य -
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य –	शून्य	शून्य -	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य -	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 2,05000/- [illegible]	शून्य	शून्य -	शून्य -	शून्य

ADVOCATE WELFARE FUND JHARKHAND TWO RUPEES FIFTY PAISE Rs. 2.50

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	जिला पाकुड़ [illegible] मौजा [illegible] ज. 188 ख.न. 50 प्लाट न.- 981	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3 कट्ठा।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1600 वर्गफुट (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹ 3,00,000/- लगभग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 3,60,000/- लगभग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 15,10,000/- सभी लगभग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नि या पति	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	S.B.I. [illegible] से ऋण ₹1,00,000/- बकाया ₹90,000/- पेन्शन लोन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	₹ 90,000/- रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकरी जिसके समक्ष यह लम्बित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं .... सामाजिक कार्यकर्ता ....

(ख) पति या पत्नी (i) सरकारी सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय मे
(ii) आंगन बाड़ी सेविका

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

.... स्नातक, एस. पी. कॉलेज दुमका, भागलपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1974 में।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/~~कु.~~ ज्योतिन सोरेन
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम- हाथीमारा, पो. बड़कियारी थाना- महेशपुर जिला - पाकुड़ झारखण्ड पिन 816106.
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	01 राजमहल (अ.ज.जा.) संसदीय क्षेत्र झारखण्ड।
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
5.	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	एक
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य

7.		... का स्थायी लेख सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	(i) जोबा मुर्मू ADHPM0572H (ii) शून्य	2013-14 शून्य	₹ 3,31,025/- शून्य
	(ग) आश्रित	1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

विवरण			स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क.		जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	₹ 2,93,089/-	(i) + (ii) ₹ 83,286/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख.		स्थावर आस्तियाँ	₹ 15,10,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
		(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	₹ 15,10,000/- (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 90,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता : स्नातक, एम.बी. कॉलेज, [illegible], [illegible] विश्वविद्यालय 1975 [illegible]

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ......3 अप्रैल 2014...... को सत्यापित किया गया।

Sri/Smt ......
Who is identified by ......
Advocate, Solemnly affirmed
and declare before me
3/4/2014
......nath Ojha
......, Jharkhand

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5 अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ–पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121–रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ–पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ–पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे –'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त **नहीं** छोड़ना है। यदि **अनुस्मारक देने के बावजूद** कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।